राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 46/2024

प्रदीप कुमार **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू डिवीजन, चूरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.01.2024
आदेश की दिनांक : 15.02.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि जिला आवंटन सूची दिनांक 27.09.2023 की पालना में अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय (सामाजिक विज्ञान) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, झुंझुनू में पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चैनपुरा, पंचायत समिति, रायपुर जिला ब्यावर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन हेतु आवेदन किया। अपीलार्थी उक्त विद्यालय में चयन हेतु योग्यता रखता है। अपीलार्थी ने जिला झुंझुन के लिए ऑनलाईन आवेदन किया तथा परीक्षा में शामिल हुआ, जिसमें अपीलार्थी ने पूर्णांक 30 में से 12.75 अंक प्राप्त किये। विभाग द्वारा विकल्प पत्र जारी किए गए, जिसमें अपीलार्थी ने दिनांक 29.09.2023 को उक्त विद्यालय हेतु विकल्प पत्र दिया और तत्पश्चात्

विभाग द्वारा दिनांक 27.09.2023 के द्वारा जिला आवंटन सूची जारी की गई, जिसमें जिला झुंझुनू की सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 27 पर अंकित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा पदस्थापन आदेश दिनांक 02.10.2023 को जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाते हुए पदस्थापन दिया गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थी ने चयनित प्रक्रिया के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु उसका पदस्थापन नहीं किया गया, जो नियम के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि जिला आवंटन सूची दिनांक 27.09.2023 की पालना में अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय (सामाजिक विज्ञान) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, झुंझुनू में पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 27.09.2023 में वर्णित कार्मिकों को वरिष्ठ अध्यापक के पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाना था न कि अध्यापक लेवल द्वितीय के पद पर। जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम या अधिक अंक अर्जित किये हैं, का वरिष्ठ अध्यापक के पद के विरूद्ध पदस्थापन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला झुंझुनू में आवंटित सूची क्रमांक 8 से 13 तक के कार्मिकों को पदस्थापित किये जाने हेतु रिक्त पद उपलब्ध थे। क्रम संख्या 14 से 27 तक के कार्मिकों को जिला झुंझुनू में पदस्थापित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का नाम सूची में क्रम संख्या 27 पर दर्ज है। उनका यह भी कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 27.09.2023 के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या 1 से 7 तक वर्णित कार्मिकों को जिला चूरू आवंटित किया गया। क्रम संख्या 8 से 27 तक के कार्मिकों को जिला झुंझुनू, क्रम संख्या 28 से 40 तक के कार्मिकों को नीमकाथाना और 41 से 61 तक के कार्मिकों को जिला सीकर आवंटित किया गया। परंतु यह कहना गलत है कि पिक एंड चूज के आधार पर कार्मिकों का पदस्थापन किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च

प्राथमिक विद्यालय, चैनपुरा, पंचायत समिति, रायपुर जिला ब्यावर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने जिला झुंझुन के लिए ऑनलाईन आवेदन किया तथा परीक्षा में शामिल हुआ, जिसमें अपीलार्थी ने पूर्णांक 30 में से 12.75 अंक प्राप्त किये। विभाग द्वारा विकल्प पत्र जारी किए गए, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.09.2023 को उक्त विद्यालय हेतु विकल्प पत्र दिया गया और तत्पश्चात् विभाग द्वारा दिनांक 27.09.2023 के द्वारा जिला आवंटन सूची जारी की गई, जिसमें जिला झुंझुनू की सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 27 पर अंकित किया गया। परंतु अपीलार्थी को जिला झुंझुनू आवंटित नहीं किया गया। अधिकरण द्वारा दिनांक 05.02.2024 को राजकीय अधिवक्ता एवं प्रभारी अधिकारी को आगामी तारीख को झुंझुनू जिले के अपीलार्थी के पद से संबंधित रिक्त पदों की संख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, परंतु प्रभारी अधिकारी द्वारा अधिकरण के समक्ष रिक्त पदों की संख्या उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को विभाग द्वारा नियम विरूद्ध तरीका अपनाकर उसे जिला झुंझुनू आवंटित नहीं किया गया, जो नियमों एवं नीति के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जिला आवंटन सूची दिनांक 27.09.2023 के क्रम में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, झुंझुनू में अपीलार्थी को रिक्त पद होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान के पद पर पदस्थापन के संबंध में नियमानुसार विचार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)	**(शुचि शर्मा)**
सदस्य	**सदस्य**